कार्यवृत्त

बुधवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 14 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–7

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना को लिये जाने के लिए मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य ने अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें उसके पश्चात् सूचना पर विचार कर लिया जायेगा। विपक्ष के मा0 सदस्य उक्त सूचना को प्राथमिकता पर लिये जाने की मांग को लेकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। परन्तु मा0 सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे। परन्तु विपक्ष के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्राथमिकता पर नियम–310 के अन्तर्गत सूचना ले ली जाय। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत सुनने के लिये कह चुके है। इस पर विपक्ष के सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए सदन के 'वेल' में आ गये, जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य 11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

11 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का स्थगन 12:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

12:00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।

नियम–310 की सूचना को सुनने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पुनः अनुरोध किया। विपक्ष के सदस्य नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर विपक्ष के सदस्य अपनी बात जोर–जोर कहते हुए सदन की 'वेल' में आ गये। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 10 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट के लिये स्थगित की।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।

विपक्ष के सदस्य पुनः नियम–310 की सूचना पर चर्चा को लेकर सदन के 'वेल' पर आ गये और नारेबाजी करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहे है।

किसानों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री करन माहरा, श्री प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री मनोज रावत, श्री आदेश चौहान, श्री फुरकान अहमद, श्री हरीश सिंह धामी, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री का सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वे 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नांकित स्वीकृत सूचनायें उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय

सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी, जो पढ़ी हुई मानी गयीः–

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मानिला इण्टर कालेज के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
2.	श्री गोपाल सिंह रावत	विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत आर0बी0एम0 (रिवर बेड मैटीरियल) के उठान न किये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनाकोट के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसानों की फसलों एवं घरों को अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।
4.	श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम पचेंवली के पंचलेश्वर महादेव मन्दिर के समीप राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।
5.	श्री खजान दास	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड में निर्माणाधीन मन्नू गंज नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।
6.	श्री गणेश जोशी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत मसूरी में राज्य स्तरीय अतिथि गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्री देशराज कर्णवाल	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत झबरेड़ा में लगे रोजगार मेले में सिडकुल व अन्य निजी कम्पनियों के मालिकों द्वारा प्रतिभाग न किये जाने सम्बन्धी।

संसदीय कार्यमंत्री ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 8(3) के अन्तर्गत सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), वित्तीय वर्ष 2013–14 को सदन के पटल पर रखा।

श्री चन्दन राम दास सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम माडलसेरा में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गौरव कुमार, ग्राम व पोस्ट माडलसेरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

श्री चन्दन राम दास सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम बहुली में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री रमेश दास, ग्राम व पोस्ट बहुली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के गरूड़ क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री घनश्याम जोशी, ग्राम पाये पोस्ट गरूड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली की नवसृजित तहसील जिलासू में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की कमी के निराकरण के सम्बन्ध में'' श्री गजपाल बर्त्वाल, ग्राम झिलोरी पोस्ट जिलासू, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के ग्राम मण्डल में स्थित जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को विकसित करने के सम्बन्ध में'' श्री योगेन्द्र प्रसाद सेमवाल, ग्राम मण्डल पोस्ट वेरांगना, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्राम पंचायत गिरसा में सन् 2013 की आपदा के बाद अलकनन्दा नदी से लगातार हो रहे भूमि कटाव से अनुसूचित जाति बस्ती को हो रहे खतरे के सम्बन्ध में'' श्री दर्शन लाल, ग्राम गिरसा पोस्ट जिलासू (पोखरी), जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उडामांडा–रौता मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में'' श्री किशन सिंह बुटोला, ग्राम चौण्डी, पोस्ट व विकासखण्ड पोखरी, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिदोली 04 किमी0 मोटर मार्ग से पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक 02 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेश कुमार आर्य, ग्राम पनाई पोस्ट गौचर, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के भराड़ीसैंण से ग्राम सभा परवाड़ी तक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल सिंह, ग्राम पंचायत परवाड़ी, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत स्यूणी मल्ली तक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव सिंह, ग्राम स्यूणी मल्ली, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना प्रस्तुत करते हुए सूचित किया कि मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के दिनांक 03 मई, 2017 को केदारनाथ दर्शन राजकीय कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें प्रोटोकॉल न देने व हाउस अरेस्ट किये जाने से उनकी निजी तथा क्षेत्रीय जनता की प्रतिष्ठा पर आघात पहुचा है। मा0 सदस्य ने उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया।

श्री अध्यक्ष जी ने कहा कि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

आयुष एंव आयुष शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गयी।

आयुष एंव आयुष शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे सभी सूचनाओं को ग्राहयता पर सुन लेंगे।

1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3:00 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

राज्य के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति एवं समायोजन के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रूड़की नगर निगम की अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य रोके जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में संचालित हैली सेवाओं में हैली कम्पनियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त भी विधान सभा क्षेत्र, रानीखेत में स्टेडियम का निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। खेल मंत्री को सुनने पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र, धारचूला में फर्जी प्रमाण–पत्रों के सहारे निवास कर रहे नेपाली मूल के लोगों एवं सदस्य जिला पंचायत पय्यांपौड़ी श्री भूपेन्द्र थापा पुत्र स्व0 श्री नर सिंह थापा की नागरिकता सम्बन्धी प्रकरण पर नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री को सुनने पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते कहा है कि सदन के उपवेशन के दौरान लोकायुक्त विधेयक पर गठित प्रवर समिति की बैठक हो रही है जिसका औचित्य नही है क्योंकि बजट कि अनुदान मांगों पर चर्चा एवं पारण का कार्य सदन के सम्मुख चल रहा है जिसमें उनके द्वारा दिये गये कटौती प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण लंबित है। यह मनी बिल है जिस पर कटौती प्रस्ताव में उनका नाम पहले से इंगित है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 198 के अनुसार समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिए निलम्बित कर सकेंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान की मांगों पर चर्चा एंव मतदान–

जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 9343717 हजार (रूपये नौ सौ चौंतीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री काजी निजामुद्दीन ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–13 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

श्री हरबंस कपूर,

05 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री महेन्द्र भट्ट,

श्री महेश सिंह नेगी,

श्री हरीश सिंह धामी,

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

श्री राम सिंह कैड़ा,

श्री देशराज कर्णवाल,

श्री राजकुमार,

श्री फुरकान अहमद,

श्रीमती रितु खडूंडी भूषण,

श्री प्रीतम सिंह पंवार,

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–13 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 4725525 हजार (रूपये चार सौ बहत्तर करोड़ पचपन लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री आदेश सिंह चौहान ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–17 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन,

श्री करन महरा,

श्री गोविंद सिंह कुजंवाल,

श्री मुन्ना सिंह चौहान,

श्री हरीश सिंह,

श्री देशराज कर्णवाल,

श्री महेश सिंह नेगी

07 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–17 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 547120 हजार (रूपये चौवन करोड़ ईकहत्तर लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री काजी निजामुद्दीन ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

श्री आदेश सिंह चौहान,

श्री करन महरा,

श्री राजकुमार

परिवहन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–24 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत

धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 7319938 हजार (रूपये सात सौ इक्तीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

समाज कल्याण मंत्री,ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2363828 हजार (रूपये दो सौ छत्तीस करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री करन माहरा ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

श्रीमती ममता राकेश,

श्री देशराज कर्णवाल,

श्री राजकुमार,

श्री मुकेश सिंह कोली,

समाज कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1434926 हजार (रूपये एक सौ तैंतालीस करोड़ उनचास लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–28 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

श्री करन माहरा,

श्री महेन्द्र भट्ट,

श्री आदेश चौहान,

श्री देशराज कर्णवाल,

श्रीमती ममता राकेश

पशुपालन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–28 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1124348 हजार (रूपये एक सौ बारह करोड़ तैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री गोविंद सिंह कुजंवाल ने प्रस्ताव किया कि कि अनुदान संख्या–16 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया–

श्रीमती इन्दिरा हृद्वयेश,

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

श्री मुन्ना सिंह चौहान,

श्रम मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–13 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

10 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गोविंद सिंह कुजंवाल पीठासीन हुये।

10 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम– 53 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से–

मा0 सदस्य, श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना जो, जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में सीवर लाईन के अतिशीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के वक्तव्य के लिये एवं

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की सूचना जो राजपूत सोनार जाति को वर्तमान समय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे है।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में स्वजल विभाग द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं के मरम्मत करने व पुनः चालू करने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के भूमिहीन परिवारों को भूमिहीन का प्रमाण पत्र जारी न करने से क्षेत्रीय जनता को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को दी गई सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

10 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।